



CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

सेना उड़नयोज्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर

MARATHAHALLI COLONY P.O.

BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1681/Type Approval No. 1681

मद/FOR ITEM: हारनेस, पार्ट सं. एमबीजेड/ईपीएस-72/ Harness, Part No. MBZ/EPS-72

यह प्रमाणित किया जाता है कि 16 बीआरडी, एयरफोर्स पालम, नई दिल्ली-110010 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "हारनेस" पार्ट सं. एमबीजेड/ईपीएस-72 को आरेखन सं. एडीआरडीई/1231, के अनुसार मिग-29 वायुयान के पीएसयू-36 पाइलट पैराशूट में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए (कानपुर) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं. 16बीआरडी/आइएससी/टीएस-123, दिनांक 27 अक्टूबर 2006 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Harness" bearing the Part No. MBZ/EPS-72 designed, developed and manufactured by 16 BRD , Air Force Palam, New Delhi-110010, is hereby approved for production as per Drawing No.: ADRDE/1231, for use on PSU-36 Pilot Parachute of MiG-29 aircraft. It has been tested in co-ordination with RCMA(Kanpur) as per Test Schedule No. 16 BRD/ISC/TS-123, Dt. 27th Oct 2006. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2016 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (कानपुर), द्वारा एचएएल, कानपुर प्रभाग, कानपुर - 208 008 से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2016, unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Kanpur), C/o HAL, Kanpur Division, Kanpur-208 008, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained, if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लीयरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.


संलग्न/Encl : परिशिष्ट-'ए'/Appendix-'A'

सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1681

दिनांक/Date : 29 Sept 2011

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856




(डॉ. के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguished Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)